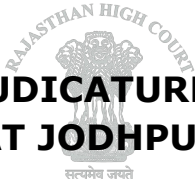


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8671/2026

CNR: RJHC010602742026

URN: CRLMB / 18785U / 2026

Mohammad Ayaan Khan Alias Ayaan Pacish S/o Shri Mohammad Ishaq, Aged About 19 Years, Resident Of Ram Manohar Lohiya Nagar Sajjannagar Kachi Basti Police Station Ambamata District Udaipur Rajasthan (Presently Lodged In Central Jail Udaipur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Firoz Khan
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP Mr. Bajrang Singh

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

20/07/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना अम्बामाता, जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 145/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(2), 109(1) व 3(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। अन्य सह-अभियुक्त की जमानत के प्रार्थना-पत्र के समय चालान पेश किया गया था, परंतु पत्रावली में शामिल नहीं है। सह-अभियुक्तगण मोहम्मद अरमान व दानिश की जमानत दिनांक 06.07.2026 को तथा साहिल की जमानत दिनांक 20.05.2026 को ली जा चुकी है। आहत मोहम्मद ओवेश ने अपने बयान में चाकू से मोहम्मद आयान खान उर्फ आयान पच्चीस द्वारा चोटें मारना बताया है। अब प्रार्थी-अभियुक्त का राजीनामा मोहम्मद ओवेश के साथ हो चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने में आहत मोहम्मद ओवेश को कोई

आपत्ति नहीं है। प्रार्थी-अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने मोहम्मद ओवेश का शपथ-पत्र पेश कर बताया कि प्रार्थी-अभियुक्त अयान खान ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। एफ.आई.आर. में गलतफहमी व भावावेश में प्रार्थी-अभियुक्त का नाम लिखा दिया गया था। कोई कार्यवाही मोहम्मद आयान खान उर्फ आयान पच्चीस के विरुद्ध मोहम्मद ओवेश नहीं चाहता है। इस शपथ-पत्र को शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने में मुस्तगीस पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में पूर्व में जिन मुलजिमान के आदेश पारित किये गये, उन पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के मुताबिक इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने में मुस्तगीस पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **मोहम्मद आयान खान उर्फ आयान पच्चीस पुत्र मोहम्मद ईशाक खान** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J